संख्या-62/2019/1092/26-3-2019-1432/2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 08 मार्च 2019

विषयः-मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना तथा एन0एस0ए0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिये होर्डिंग लगवाये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-261/26-3-2019-1432/2018, दिनांक-08.02.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना तथा एन0एस0ए0पी0 योजना के प्रचार-प्रसार हेतु उपलब्ध धनराशि की सीमा तक प्रदेश के सभी जनपदों के कलेक्ट्रेट 75, जिला अस्पताल 75, जिला बस स्टाप 75, विकास भवन 75, तहसील मुख्यालय 350, विकासखण्ड मुख्यालय 821 अर्थात कुल 1471 स्थलों पर ई-निविदा के माध्यम से होर्डिंग लगाये जाने के प्रस्ताव पर सहमति/स्वीकृति प्रदान गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्तानुसार कुल 1471 स्थलों पर ई-निविदा के माध्यम से होर्डिंग लगवाये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0राज्य निर्माण श्रम विकास सहकारी संघ लि0 को इस शर्त के अधीन कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है कि निदेशक, समाज कल्याण द्वारा इस हेतु कार्यदायी संस्था से शीघ्र एम0ओ0यू0अनुबन्ध कराकर उपलब्धता की सीमा तक धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के आलोक में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी जिसके लिए संबंधित कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक उत्तरदायी होंगे।

4- स्वीकृत धनराशि से होर्डिंग लगाये जाने का कार्य किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निदेशक, समाज कल्याण द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर फोटोग्राफ्स की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

हस्ताक्षरित/प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन की यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

5- जनपद मुख्यालय के विभिन्न स्थलों पर होर्डिंग की साइज यू0पी0सिडकों द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के अनुसार 6100mm(w.)x 3050mm(H.) तथा तहसील व ब्लाक मुख्यालय पर होर्डिंग की साइज 2440 mm(w.)x1830mm(H.) होगी।

अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव।

पृ0सं0-62/2019/1092(1)/26-3-2019-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, उ0प्र0इलाहाबाद।
2-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3-प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0राज्य निर्माण श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0)
4-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से
रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।